संख्या-26/2025/आई/853032/23-1-25-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-1

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ:: 17 जनवरी, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत विशेष मरम्मत के स्वीकृत कार्यो हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-683सी0जी0/02रा0स0नि0(आवंटन)/3054/भाग-2/24-25, दिनांक 19.12.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 3054 मद में शासनादेश संख्या-673/2024/आई/825411/23-1-24/001-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-1, दिनांक 16.12.2024 द्वारा विभिन्न मण्डल के विभिन्न जनपदों के कुल 390 कार्यों के विशेष मरम्मत कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 16.12.2024 में अंकित तालिका के क्रमांक-312, 315, 316 व 318 पर जनपद/खण्ड का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया है।

3- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-673/2024/आई/825411/23-1-24/001-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-1, दिनांक 16.12.2024 द्वारा स्वीकृत 390 कार्यों में से शासनादेश में अंकित तालिका के स्तम्भ-3 (खण्ड/जनपद का नाम) में क्रमांक-312, 315, 316 व 318 में क्रमशः अंकित प्रान्तीय खण्ड, मेरठ (क्रमांक-312) प्रान्तीय खण्ड बुलन्दशहर (क्रमांक-315), निर्माण खण्ड-2 गाजियाबाद (क्रमांक-316) व प्रान्तीय खण्ड मेरठ (क्रमांक-318) के स्थान पर प्रान्तीय खण्ड बुलन्दशहर (क्रमांक-312), निर्माण खण्ड-2, गाजियाबाद (क्रमांक-315), प्रान्तीय खण्ड मेरठ (क्रमांक-316) व प्रान्तीय खण्ड बुलन्दशहर (क्रमांक-318) पढ़ा व समझा जाय।

4- विषयगत शासनादेश संख्या-673/2024/आई/825411/23-1-24/001-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-1, दिनांक 16.12.2024 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व अन्य प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-26/2025/आई/853032(1)/23-1-25-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।